न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/आरटीआई/52/2021

देवेन्द्र पोद्दार निवासी 1के–42 कृष्णानगर भरतपुर।

बनाम

सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 13.07.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि देवेन्द पोद्दार निवासी 1के–42 कृष्णानगर भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 12.04.2021 को सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर से सूचना चाही गई थी। सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/416 दिनांक 28.06.2021 के द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बावत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर से उनके पत्र कमांक/4344 दिनांक 08.07.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर ने उपलब्ध नही कराई गई हैं। अपीलान्ट ने सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 4344 दिनांक 08.07.2021 का अवलोकन किया गया। सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को भी पत्र कमांक 4233 दिनांक 06.07.2021 की प्रति भी मिजवाई गई है। रेस्पा. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति सलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर